

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं
पीठारीन अधिकारी :::: स्वाति (तहसीलदार)
मिसल नं. :::: 82/2022
सरकार बनाम बबलू पुत्र श्री रडमल, जाति-कुम्हार, निवासी-पिलोद
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 23.09.2022

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल बबलू पुत्र श्री रडमल, जाति-कुम्हार, निवासी-पिलोद द्वारा रोही मौजा पिलोद की राजकीय भूमि ख.नं. 504/253 के कुल रकबा 19.45 है० किस्म गै.मु. जोहड़ में से रकबा 0.025 है० भूमि पर पक्के मकान, एवं बाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने जरिये अभिभाषक सुरेन्द्र सिंह तंवर, जवाब नोटिस पेश किया है, जिसमें गैर सायल ने अपना पुराना कब्जा बताया है। अपने कब्जे के विधिक होने के समर्थन में अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया, जिससे गैर सायल को कब्जा विधिक प्रमाणित हो। अतः गैर सायल का जवाब संतोषजनक नहीं माना जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म गै.मु. जोहड़ है एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में डी.बी. अपील सं. 1536/03 में दिये गये निर्णय के अनुसार नदी, नाले, जोहड़, पायतन आदि भूमि एवं जल प्रवाह व जल संग्रहण की भूमि के आवंटन/नियमन पर प्रतिबन्ध है एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जगपाल सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य CIVIL APPEAL NO.1132/2011 @ SLP(C) No.3109/2011 (Arising out of Special Leave Petition (Civil) CC No. 19869 of 2010) निर्णय दिनांक 28 जनवरी 2011 के द्वारा आवंटन एवं प्रतिबन्धित भूमियों की श्रेणी में आती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर गैर सायल को भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 8 रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(स्वाति)

तहसीलदार, सूरजगढ़

रा० ले० सं० 4 के अन्तर्गत 12 पर
वर्ष. 22-23 08 कायम कर


राजस्व लेखाकार